# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

## मध्यप्रदेश

**लिंक रोड 03, पत्रकार कॉलोनी के सामने**

क्रमांक/एन.एच.एम/एच.आर/सी-2/2026/E-1200514/2288 भोपाल दिनांक 03/04/2026

## // आदेश //

कलेक्टर जिला जबलपुर पत्र क्रमांक/कले.निज.सहा/398/2026 जबलपुर दिनांक 01.04.2026 के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जबलपुर में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच किये जाने हेतु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा जांच दल गठित किया गया। जांच दल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2026 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नानुसार तथ्य परिलक्षित हुए-

1. कार्यालय में स्थित स्टोर शाखा में संधारित स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 17/3/2026 को 6 देयकों की प्रविष्टि पाई गई उक्त देयकों की सामग्री का क्रय सिंह इन्टरप्राइजेस भोपाल से किया गया है 6 देयकों की कुल राशि 42,99,998/- है। उसी क्रम में दिनांक 24/03/2026 को कुल 7 देयकों की प्रविष्टि है जिनकी कुल राशि 57,75,000/- है, इस प्रकार 6+7=13 देयकों की कुल राशि 1,00,74,998/- (एक करोड़ चौहत्तर हजार नौ सौ अन्ठानबे) के देयक हैं । जबकि भण्डार गृह के निरीक्षण पर पाया गया कि देयकों में वर्णित अनुसार सामग्री भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. श्री आदित्य तिवारी संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा जांच दल के समक्ष दिए गए कथन में बताया है कि, शिकायत में उल्लेखित देयक में दर्शाई गयी सामग्री आंशिक रूप से प्राप्त की गई एवं कुछ सामग्री प्राप्त किया जाना शेष है। जबकि जांच दल द्वारा पाया गया कि, 13 देयकों में से कोई भी सामग्री स्टोर शाखा में भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है एवं साथ ही आपके द्वारा क्रय की गई सामग्री का भुगतान सामग्री प्राप्त करने की प्रत्याशा में किया गया जो कि, म.प्र.भण्डार क्रय नियम के बिन्दु क्रमांक 17.3 के विपरीत है।
3. श्री जवाहर लोधी संविदा संविदा फार्मासिस्ट द्वारा जांच दल के समक्ष दिए गए कथन में बताया है कि, उक्त देयकों की एंट्री स्टॉक रजिस्टर में श्री आदित्य तिवारी डी.पी.एम. के कहने पर की गई है, जबकि, सामग्री भौतिक रूप से भण्डार गृह में उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः कथन से स्पष्ट है कि, बिना सामग्री प्राप्त किये ही स्टॉक पंजी में उक्त देयकों की प्रविष्टि की गई है।
4. जांच दल द्वारा शिकायत में उल्लेखित मरम्मत (रंगाई, पुताई) एवं कम्प्यूटर सुधार के देयकों का परीक्षण किया गया, भौतिक रूप से भवन मरम्मत का कार्य जिले की विभिन्न संजीवनी केन्द्रों में कराया जाना बताया गया है किन्तु कार्य नहीं होना पाया गया एवं कम्प्युटर रिपेयरिंग कार्य होने के कारण भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया । अलमारी खरीदी का संधारण कुल अलमारी देयकों में वर्णित अनुसार संख्या 40 हैं, जिसमें से विवरण पंजी के अनुसार कुल 21 अलमारी का वितरण विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया एवं शेष का भण्डारण संजीवनी क्लीनिक कस्तुरबा गांधी वार्ड चंचला बाई कालेज के बाजू में किया जाना बताया गया।

5. जांच दल द्वारा लेखा शाखा का निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार EC/singnage/register एवं Travarsing gap के कुल 13 देयकों में से दिनांक 23/3/2026 का देयक क्रमांक 58/23-3-2026 राशि 7,70,000/- का भुगतान नहीं होना पाया गया शेष सभी 12 देयकों की राशि 93,04,998/- का भुगतान किया जा चुका है। लेखा शाखा द्वारा केशबुक का संधारण माह सितम्बर 2025 तक ही किया गया है जिस कारण उपरोक्त देयकों की प्रविष्टि केशबुक में नहीं है किए जाने के संबंध में बताया गया।

**मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के बिन्दु क्रमांक 17.3** के अनुसार भुगतान के पूर्व यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा कि, सामग्री का निरीक्षण हुआ है एवं वह सामग्री विनिर्देशनों के अनुरूप है परन्तु कार्यालय द्वारा क्रय की गई सामग्री की प्राप्त ना होने पर भी राशि **93,04,998/-** (अंकन तिरान्बे लाख चार हजार नौ सौ अन्ठानबबे रूपये) का **भुगतान किया जा चुका है** जो नियमानुसार न होकर वितीय अनियमितताओं को दर्शाता है।

उपरोक्त किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति की शिकायत की श्रेणी में आता है, साथ ही आपका यह कृत्य लापरवाही एवं कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की छवि धूमल हुई है। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैन्युअल 2025 की कंडिका 11.6.1 अनुसार प्रारंभिक जांच में दोष परिलक्षित होने पर 11.6.3 के प्रावधान अनुसार विस्तृत जांच की अवधि में श्री आदित्य तिवारी संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक जबलपुर एवं को तत्काल प्रभाव से शासकीय कार्य से विरक्त रखा जाता है एवं इस अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत पारिश्रमिक ही प्राप्त होगा।**

(मिशन संचालक, एन.एच.एम द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
DISHA PRANAY NAGVANSHI
Date: 03-04-2026 16:54:38

**(दिशा प्रणय नागवंशी)**
अपर मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/एचआर/2026/ भोपाल दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला जबलपुर मप्र.।
5. वरिष्ठ संयुक्त संचालक, शिकायत/लीगल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ संयुक्त संचालक, मानव संसाधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर, संभाग जबलपुर, म.प्र.।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर म.प्र.।
9. श्री आदित्य तिवारी संविदा जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला जबलपुर म.प्र.।

**अपर मिशन संचालक**
**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन**
**मध्यप्रदेश**